



भारत सरकार

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

सं० SO/8/2015/STGJH/SEOTH/RU-III

छठी मंजिल, बी विंग, लोकनायक भवन
खान मार्केट, नई दिल्ली-10003
6TH Floor, 'B' Wing, Lok Nayak Bhawan
Khan Market, New Delhi-110003
दिनांक : 18-12-2015

सेवा में,

1. उपायुक्त,
जिला-रामगढ़,
झारखण्ड

2. पुलिस अधीक्षक
जिला-रामगढ़,
झारखण्ड

विषय: जमीन पर टिस्को कम्पनी द्वारा कब्जा करने के संबंध में श्री सुरज उरांव, पुत्र श्री स्व० महाबीर उरांव, ग्राम-बारुघुट्टू, पोस्ट-घाटो टाण्ड, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड) का अभ्यावेदन।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस आयोग के समसंख्यक नोटिस दिनांक 30.07.2015 (छायाप्रति संलग्न) के संदर्भ में कथन है कि प्रकरण पर चर्चा/सुनवाई हेतु आयोग के माननीय अध्यक्ष, डा० रामेश्वर उरांव ने दिनांक 29.12.2015 को पूर्वाह्न 11:30 बजे आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय रांची में आपके साथ बैठक निश्चित की है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले से संबंधित समस्त दस्तावेजों सहित उक्त तिथि को आयोग के क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. कोपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची (झारखण्ड) में वैयक्तिक तौर पर उपस्थित होने का कष्ट करें।

भवदीय

(राजेश्वर कुमार)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि:

1. अनुसंधान अधिकारी, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, क्षेत्रीय कार्यालय, 14, न्यू ए.जी. कोपरेटिव कालोनी, कदरू, रांची (झारखण्ड) को अनुवर्ती कार्रवाई हेतु।
2. श्री सुरज उरांव, पुत्र श्री स्व० महाबीर उरांव, ग्राम-बारुघुट्टू, पोस्ट-घाटो टाण्ड, जिला-रामगढ़ (झारखण्ड)।

copypaste:

SSA, NIC.